

## ‘समाधान से विकास’

### प्रिलमिंस के लिये

वाह्य विकास शुल्क, अवसंरचनात्मक विकास शुल्क

### मेन्स के लिये

‘समाधान से विकास’ योजना की आवश्यकता व महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने वाह्य विकास शुल्क (External Development Charges-EDC) और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क (Infrastructural Development Charges-IDC) की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिये ‘समाधान से विकास’ नामक योजना शुरू की है।

## प्रमुख बंदी

- इस योजना को केंद्रीय योजना ‘वविाद से वशिवास’ के तर्ज़ पर वकिसति कयिा गया है।
- इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनरनरिधारण नीता प्रस्ताव भी प्रस्तुत कयिा गया था।
- हरयाणा में सैकड़ों रयिल एस्टेट नरिमाताओं को राज्य सरकार को वाह्य विकास शुल्क व अवसंरचनात्मक विकास शुल्क के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना शेष है।

## वाह्य विकास शुल्क

- यह शुल्क भवन नरिमाताओं द्वारा वकिसति सड़कें, पानी और बजिली की आपूर्ता, भू-नरिमाण, जल नकिसी, सीवेज ससि्टम के रखरखाव और अपशाषिट प्रबंधन सहति वकिसति परयोजनाओं की परधि के भीतर नागरिक सुवधिाओं के रखरखाव के लयिे विकास प्राधकिरणों को भुगतान कयिा जाता है।
- वाह्य विकास शुल्क का नरिधारण विकास प्राधकिरणों के अधकिारयिों द्वारा कयिा जाता है।

## अवसंरचनात्मक विकास शुल्क

- यह भवन नरिमाताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनयिादी ढाँचागत परयोजनाओं के विकास के लयिे भुगतान कयिे जाने वाले शुल्क हैं। जसिमें राजमार्ग, पुल सहति परविहन नेटवर्क का नरिमाण शामिल है।

## हरयाणा में वधकि प्रावधान

- हरयाणा विकास और शहरी कषेत्रों के नयिमन (Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules), 1976 के अनुसार, एक लाइसेंसधारी भवन नरिमाता को वाह्य विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंडों के आधार पर करना होगा।
- यद भवन नरिमाता वाह्य विकास शुल्क/ अवसंरचनात्मक विकास शुल्क जमा नहीं करता है और न ही वाह्य विकास शुल्क पुनरनरिधारण नीता का लाभ उठाता है, तो नगर एवं ग्राम नयिाजन विकास वभिाग द्वारा एक कारण बताओ नोटसि (show cause notice) जारी कयिा जाता है, जसिमें ऐसे डफिॉल्टरों को EDC/IDC का भुगतान न करने पर बैंक गारंटी को रद्द करने की चेतावनी दी जाती है।
- भवन खरीदारों के हतिों को सुरकषति रखने और भवषिय में कसिी भी कदाचार व धोखाधड़ी से नपिटने के लयिे परयोजना के प्रारंभ होने की तारीख से 90 दनिों के भीतर भवन नरिमाताओं को 15 प्रतशित की बैंक गारंटी का दावा प्रस्तुत करना पड़ता है।

## स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/will-samadhan-se-vikas-help-recover-hundreds-of-crores-builders-owe>

